website

M

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

निविदा सूचना संख्याः–26/2018–19

दिनांक

निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यो हेतु प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों से निविदायें आमंत्रित की जाती हैः–.

क. सं.	कार्य का नाम	बी.ओ.क्यू. धनराशि (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 में)	निविदा मूल्य (रू0 में) समस्त करों सहित	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पात्र श्रेणी	अभियंत्रण खण्ड
1	इनर रिंग रोड प्रथम चरण पर क्षतिग्रस्त केन्टीलीवर साइनेज बोर्ड के फाउण्डेशन बनाने एवं साइनेज बोर्ड लगाने का कार्य।	7.18	14,500/–	560/–	01 माह	विशिष्ट श्रेणी	खण्ड–2
2	ताजनगरी फेस–2 योजना स्थित ए.डी.ए. हाइट्स पर स्थापित सोलर सिस्टम को ठीक कराये जाने का कार्य।	7.88	15,800/–	560/–	01 माह	विशिष्ट श्रेणी	
3	ताजनगरी फेस–2 योजना के सेक्टर ई–1 में पाइप लाइन डालने का कार्य।	1.55	3100/–	560/–	02 माह	E	
4	जूता प्रदर्शनी, प्रशिक्षण एवं कल्याण केन्द्र की सफाई व्यवस्था का कार्य।	4.15	8,500/–	560/–	12 माह	E	खण्ड–3
5	अभियंत्रण खण्ड की नई बिल्डिंग में 10 पैसेन्जर की लिफ्ट लगाये जाने के लिए शाफ्ट का निर्माण कार्य।	8.70	17,400/–	560/–	03 माह	E	अनुरक्षण

नियम व शर्तेः–

1– उक्त कार्यो की निविदायें दिनांक 04.01.2019. को आमंत्रित की जाती है। यह निविदायें मुख्य अभियंता कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में दिनांक 04.01.2019 को अपराह् 3:00 बजे तक डाली जा सकेगी तथा उसी दिन निविदा दाता अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष 3:30 बजें खोली जायेगी।

2– निविदा प्रपत्र सम्बन्धित अधिशासी अभियंता कार्यालय से दिनांक 27.12.2018 से 03.01.2019 के अपरान्ह 3:00 बजे तक निविदा मूल्य भुगतान कर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

3– वांछित धरोहर धनराशि राष्ट्रीय कृत बैंक की FDR/NSC के माध्यम से, जो कि अधिशासी अभियंता के पक्ष में बंधक की गई हो। निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। धरोहर धनराशि के अभाव में निविदा सीलबंद कर दी जायेगी।

4– निविदा डालने से पूर्व निविदादाता स्थल का निरीक्षण कर कार्य सम्पादन की स्थिति का आंकलन अवश्य कर ले । समस्त शंकाओं का समाधान अधिशासी अभियंता से कर ले । निविदा डालने के उपरान्त निविदादाता का कोई भी पक्ष मान्य न होगा। सशर्त निविदा मान्य न होगी।

5– निविदा की दरें शब्दों एंव अंको में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी।

6– निविदा की दरें कार्य की लागत से निम्न होने की दशा में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 आडिट/08टी.सी–2, दिनांक 08 जून 2012 के अनुसार वांछित परफोरमेन्स गारन्टी अनुबन्ध से पूर्व देय होगी।

7– सभी निविदादाताओ को श्रम विभाग, जी.एस.टी एंव अन्य कोई विभाग (जहॉ कोई टैक्स देय हो) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

8– प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों को अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी निम्न तक भी निविदा डालने का अधिकार होगा।

9.– विशिष्ट श्रेणी के कार्यो के अर्न्तगत प्रश्नगत कार्य में दक्ष निविदादाता/फर्म द्वारा भाग लिया जा सकता है। इन कार्यो हेतु प्रधिकरण में पंजीकरण की बाध्यता न होगी। सफल निविदा दाता को पंजीकरण की औपचारिकता पूर्ण करानी होगी।

10– विशिष्ट श्रेणी के कार्यो में Two Bid System के अन्तर्गत निविदायें आमंत्रित होगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी।

11– सिविल कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाने होगे।

12–निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निर्विवाद रूप से उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, में निहित होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेंगी।

मुख्य अभियंता

पत्रांक 522/डी/सी.ई/2018–19, दिनांक :– 24/12/2018

प्रतिलिपि :–

1–उपाध्यक्ष महोदया को अवलोकनार्थ।
2–सचिव/वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3–अधीक्षण अभियंता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4–जनसम्पर्क अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे वेव साइट एवं दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित करायें।
5–समस्त अधि0अभि0 अपने से सम्बन्धित कार्य की बी.ओ.क्यू. समयान्तर्गत विक्रय सुनिश्चित करायें।
6–नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

मुख्य अभियंता